

परिपत्र संख्या- जी०एस०टी० जॉब वर्क-क्लेयरिफिकेशन (2018-19)/ 1819001 / 64 / वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०।

(जी०एस०टी अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 16, अप्रैल, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील), वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:-जॉब वर्क संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर क्लेयरिफिकेशन ।

महोदय,

प्रिंसिपल और जॉब वर्क के मध्य विधिक अनुपालन की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न प्रत्यावेदनों के आधार पर माल को जॉब वर्क हेतु भेजने विषयक प्रक्रिया एवं प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के मध्य पूर्ण की जाने वाली विधिक आवश्यकताओं के संदर्भ में यह आवश्यक है कि संबंधित तथ्यों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम नियमावली, 2017 के प्राविधानों के दृष्टिगत जॉब वर्क सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर बिन्दुवार क्लेयरिफिकेशन दिया जाये। उपरोक्त संबंध में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम, जी०एस०टी० पॉलिसी विंग, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-38/12/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा जॉब वर्क के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर क्लेयरिफिकेशन दिया गया है जिसका संदर्भ लेते हुए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-168(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जॉब वर्क के सम्बन्ध में माल को जॉब वर्क हेतु भेजने विषयक प्रक्रिया एवं प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के मध्य पूर्ण की जाने वाली विधिक आवश्यकताओं के विषय में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्न प्रकार बिन्दुवार क्लेयरिफिकेशन दिया जा रहा है:-

2- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-2(68) में जॉब वर्क को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार:-

"Job Work" means any treatment or process undertaking by a person on goods belonging to another registered person and the expression "Job Worker" shall be construed accordingly;

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-143 में जॉब वर्क सम्बन्धित प्रक्रिया को प्राविधानित किया गया है। सामान्य रूप से जिस पंजीकृत व्यक्ति का माल जॉब वर्क हेतु प्रेषित किया जाता है, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है तथा जॉब वर्क का आशय पंजीकृत प्रिंसिपल द्वारा किसी पंजीकृत अथवा अपंजीकृत जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को निर्देशानुसार माल के स्वरूप में आंशिक अथवा पूर्णतः परिवर्तन किये जाने हेतु बिना कर का भुगतान किये माल (इनपुट अथवा कैपिटल गुड्स) का प्रेषण किया जाना तथा निर्देशित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः उक्त माल को प्रिंसिपल के स्वामित्व को मानते हुये अग्रिम निस्तारण पर करदेयता निर्धारित की जाती है। प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्क का कार्य, प्रान्त अन्दर या बाहर के किसी एक जॉब वर्कर अथवा अनेक जॉब वर्कर से कराया जा सकता है।

अन्तिम जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क पूर्ण होने के उपरान्त प्रिंसिपल द्वारा उक्त माल को वापस अपने व्यवसाय स्थल पर लाया जा सकता है अथवा जॉब वर्क के स्थान से ही अग्रिम निस्तारण/सप्लाइ किया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में विधिक प्राविधानों के अनुसार इनपुट माल के सम्बन्ध में प्रिंसिपल द्वारा माल जॉब वर्क हेतु प्रेषित किये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर तथा कैपिटल गुड्स (माउल्ड एण्ड डाइज, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स को छोड़कर) के सम्बन्ध में तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है।

3- उपरोक्त संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इनपुट एवं कैपिटल गुड्स को जॉब वर्क के उद्देश्य से प्रेषण किये जाने से सम्बन्धित उचित लेखों का रख रखाव का दायित्व पंजीकृत प्रिंसिपल का है। यदि दिये गये समय सीमा एक वर्ष व तीन वर्ष के अन्दर प्रिंसिपल द्वारा माल को वापस नहीं लाया जाता है या पुनः सप्लाइ नहीं की जाती है तो माल को जॉब वर्क हेतु प्रेषित करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा उक्त माल को प्रथम बार भेजने की तिथि से डीमड सप्लाइ माना जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माल को जॉब वर्क हेतु प्रेषित करने का दायित्व एवं वापस अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पर लाने का उत्तरदायित्व प्रिंसिपल का है। इस प्रकार माल को जॉब वर्क पर भेजना सप्लाइ नहीं है परन्तु यह प्रिंसिपल द्वारा माल को निर्धारित समयान्तर्गत वापस प्राप्त न करने की स्थिति में सप्लाइ की श्रेणी में माना जायेगा।

4- उपरोक्त विधिक उत्तरदायित्व के आधार पर सामान्यतया निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु संज्ञान में लाये गये हैं -

क-जॉब वर्क से आच्छादित क्षेत्र।

ख-प्रिंसिपल अथवा जॉब वर्कर के पंजीयन के सम्बन्ध में आवश्यकता।

ग-जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस/परिसर से प्रिंसिपल द्वारा की गयी सप्लाई।

घ-प्रिंसिपल के बिजनेस प्लेस/परिसर से जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस हेतु माल के मूवमेन्ट के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट व उसकी सूचना।

ड-इनवाइस जारी करने का उत्तरदायित्व, प्लेस ऑफ सप्लाई का निर्धारण एवं माल और सेवा कर के भुगतान का दायित्व।

च-प्रिंसिपल एवं जॉब वर्कर को आईटीसी0 की उपलब्धता।

5- जॉब वर्क से आच्छादित क्षेत्र-यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि जॉब वर्क का क्षेत्र क्या है और प्रिंसिपल की तरफ से उपलब्ध कराये गये वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य इनपुट्स का प्रयोग, जॉब वर्कर द्वारा, जॉब वर्क की प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है अथवा नहीं।

-जॉब वर्क की परिभाषा में goods belonging to another registered person (किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से सम्बन्धित माल) के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया treatment or process (उपचार या प्रक्रिया) का उल्लेख किया गया है इस प्रकार यह अपेक्षित है कि जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध कराये गये माल के सम्बन्ध में ही जॉब वर्क सम्बन्धी प्रक्रिया की जायेगी और यह समस्त क्रियाविधि, जॉब वर्क क्षेत्र से सम्बन्धित मानी जायेगी। उक्त के विपरीत स्थिति में प्रत्येक मामलों में पृथक-पृथक तथ्यों के आधार पर जॉब वर्क का क्षेत्र निर्धारण किया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल से प्राप्त इनपुट्स के अतिरिक्त स्वयं के निजी माल का उपयोग जॉब वर्क की सेवा उपलब्ध कराने के दौरान किया जा सकता है।

6- प्रिंसिपल अथवा जॉब वर्कर के पंजीयन के सम्बन्ध में आवश्यकता:- यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-143 रजिस्टर्ड पर्सन पर लागू होती है, अतः यह स्पष्ट है कि केवल रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा ही उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत किसी माल को जॉब वर्क के लिए भेजा जा सकता है। यह रजिस्टर्ड पर्सन पर निर्भर करता है कि वह इस विशेष धारा के प्राविधानों का लाभ लेने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं।

5.1- उक्त के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा प्रस्तुत की गयी है कि यदि प्रिंसिपल एवं जॉब वर्कर एक ही राज्य क्षेत्र के अन्दर अवस्थित है अथवा दोनो पृथक-पृथक राज्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, की स्थिति में पंजीयन प्राप्त करने की आवश्यकता क्या होगी उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल एवं जॉब वर्कर एक ही राज्य क्षेत्र के अन्दर अवस्थित हैं तथा जॉब वर्कर द्वारा उ0 प्र0 राज्य सहित अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति बिजनेस प्लेस का एक वित्तीय वर्ष में सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये अथवा जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक होता है तो जॉब वर्कर को राज्य में पंजीकृत होना विधिक रूप

से आवश्यक है। प्रिंसिपल एवं जॉब वर्कर, दोनो के पृथक-पृथक राज्य क्षेत्र में अवस्थित होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-24(1) के अन्तर्गत अंतर्राज्यिक करयोग्य आपूर्ति (Inter-state Taxable Supply) करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य में पंजीकृत होना अनिवार्य है। परन्तु करयोग्य सेवाओं की इण्टर स्टेट सप्लाई, सामान्य राज्यों में सकल धनराशि रु 20 लाख एवं विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की स्थिति में रु 10 लाख की सीमा से कम होने की स्थिति में Notification NO.10/2017-Intrigated Tax Dated 13-10-2017 के द्वारा पंजीयन की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जॉब वर्कर की एक वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण भारत क्षेत्र में सकल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर ही पंजीयन प्राप्त किया जाना आवश्यक है चाहे प्रिंसिपल और जॉब वर्कर एक राज्य क्षेत्र में अथवा अलग राज्य क्षेत्र में अवस्थित हों।

7- जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस/परिसर से प्रिंसिपल द्वारा की गयी सप्लाई:- यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस/परिसर से सीधे माल की सप्लाई की जा सकती है, यदि हाँ तो उक्त सप्लाई प्रिंसिपल द्वारा अथवा जॉब वर्कर द्वारा माना जायेगा। उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-143(1)(a) में यह प्राविधान किया गया है कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर के बिजनेस प्लेस/परिसर से की गयी आपूर्ति, प्रिंसिपल की आपूर्ति मानी जायेगी।

8- प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को भेजे जाने वाले माल के साथ भेजे जाने वाले प्रपत्र व उसकी सूचना:-

8.1- उक्त सम्बन्ध में निम्न तीन स्थितियाँ हो सकती हैं :-

- i. प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को जारी किया जाने वाला डाक्यूमेन्ट।
- ii. एक जॉब वर्कर द्वारा दूसरे जॉब वर्कर को जारी किये जाने वाला डाक्यूमेन्ट।
- iii. जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को माल वापस करने के समय जारी किये जाने वाला डाक्यूमेन्ट।

8.2- विधिक प्रावधान- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-143 में यह प्राविधान किया गया है कि प्रिंसिपल, Proper Officer को निर्दिष्ट दशाओं के अधीन सूचित करते हुये, जॉब वर्क हेतु इनपुट एवं कैपिटल गुड्स को बिना कर का भुगतान किये प्रेषित अथवा वापस मंगवा सकता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की नियमावली के नियम-45 में यह प्राविधान किया गया है कि Inputs, Semifinished Or Capital Goods को जॉब वर्क हेतु अथवा एक जॉब वर्क से दूसरे जॉब वर्कर को अग्रेत्तर जॉब वर्क हेतु भेजे जाने की स्थिति में प्रिंसिपल

चालान जारी करेगा, जिसमें नियम-55 के अनुरूप वर्णित विवरण अंकित किया जायेगा। इस नियम को उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना सं०-KA.NI.-2-540/XI-9(42)/17-U.P.GST Rules-2017-Order-(123)-2018 दिनांक: 05.04.2018 से संशोधित किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल द्वारा जारी चालान को जॉब वर्कर द्वारा पृष्ठांकन कर सकता है। प्रिंसिपल FORM GST ITC-04 में त्रैमासिक रूप से सूचनाएँ दी जायेगी। उ०प्र० माल और सेवा कर नियमावली के नियम-138 के अन्तर्गत प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा रू० 50000 से अधिक मूल्य के माल का, सप्लाई से भिन्न कारण माल का परिवहन किये जाने की स्थिति में भी ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक है (उदाहरण- जॉब वर्क हेतु माल के परिवहन के सम्बन्ध में)। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-138(1) में प्राविधान है कि भिन्न-भिन्न राज्य में अवस्थित होने की स्थिति में ई वे बिल या तो प्रिंसिपल द्वारा अथवा रजिस्टर्ड जॉब वर्कर द्वारा जनरेट किया जायेगा।

8.3- जैसा कि ऊपर वर्णित है, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-45 के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा इनपुट्स, सेमीफिनिस्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को माल सीधे चालान के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। पुनः उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-55 में यह प्रावधान है कि कन्साइनर जॉब वर्क हेतु परिवहन के मामले में निर्धारित विवरण भरते हुए डिलिवरी चालान जारी करेगा यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के नियम-45 में प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्क हेतु चालान जारी करने का प्रावधान है, जबकि नियम-55 में कन्साइनर द्वारा डिलिवरी चालान जारी करने का प्रावधान है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-138 के अन्तर्गत प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा रू० पचास हजार से अधिक माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है, चाहे वह सप्लाई से भिन्न अन्य कारणों से माल भेजा जा रहा हो (उदाहरण- जॉब वर्क हेतु माल का परिवहन)। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-138(1) के तीसरे प्रावधान में ई-वे बिल या तो प्रिंसिपल द्वारा, या तो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर द्वारा, दोनों के भिन्न-भिन्न राज्य क्षेत्र में अवस्थित होने की स्थिति में किसी एक द्वारा भेजे गये माल के मूल्य का उल्लेख करते हुए जारी किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-138(3) के प्रथम स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जहाँ अनरजिस्टर्ड प्राप्तकर्ता को माल की सप्लाई की जाती है तथा यदि रजिस्टर्ड प्राप्तकर्ता को उक्त माल के मूवमेन्ट की जानकारी होती है, वहाँ पर ऐसा पंजीकृत प्राप्तकर्ता की तरफ से माल का मूवमेन्ट किया जाना अवधारित किया गया है। इस प्रकार अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर की स्थिति में माल के मूवमेन्ट हेतु ई-वे बिल जनरेट करने का दायित्व प्रिंसिपल का होगा।

8.4— चालान जारी करने, सूचनाओं को प्रदान करने तथा अन्य अभिलेखीय आवश्यकताओं के संबंध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जा रही है—

- (i) जहाँ प्रिंसिपल द्वारा केवल एक जॉब वर्कर को माल प्रेषित किया जाना हो— उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-45 एवं नियम-55 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को माल भेजने हेतु तीन प्रतियों में चालान तैयार किया जायेगा तथा चालान की दो प्रतियां माल के साथ प्रेषित की जायेगी। जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को माल वापस किये जाते समय उक्त चालान की एक प्रति माल के साथ वापस करेगा। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा FORM GST ITC-04 सूचना प्रदान की जायेगी।
- (ii) जहाँ एक जॉब वर्कर द्वारा दूसरे जॉब वर्कर को माल प्रेषित किया जाना हो— ऐसे मामलों में या तो प्रिंसिपल द्वारा या तो जॉब वर्कर द्वारा चालान माल के साथ प्रेषित किया जायेगा विकल्प के रूप में माल को प्रेषित करने वाले जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल द्वारा जारी किये गये चालान का पृष्ठांकन किया जा सकता है जिसमें प्रेषित किये जा रहे माल की मात्रा एवं विवरण का उल्लेख किया जायेगा। यही प्रक्रिया माल प्राप्त करने वाले जॉब वर्कर द्वारा किसी अन्य जॉब वर्कर को माल प्रेषित करने की स्थिति में अपनायी जायेगी।
- (iii) जहाँ जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को माल वापस किया जाना हो— ऐसे मामलों में जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल से पूर्व में प्राप्त की गयी चालान की एक प्रति जॉब वर्क की समाप्ति के पश्चात् माल के साथ प्रिंसिपल को प्रेषित की जायेगी।
- (iv) जहाँ सप्लायर द्वारा जॉब वर्क हेतु प्रिंसिपल के आदेश पर सीधे जॉब वर्कर को प्रेषित किया जाना हो— ऐसे मामलों में जहाँ प्रिंसिपल के आदेश पर किसी सप्लायर हेतु जॉब वर्क के उद्देश्य से माल सीधे जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर को प्रेषित किया जाना हो वहाँ नियम-46(o) के अनुसार सप्लायर द्वारा क्रेता (प्रिंसिपल) का विवरण देते हुए जॉब वर्कर को इनवाइस जारी करेगा जिसमें जॉब वर्कर का पूर्ण नाम व पता भी अंकित किया जायेगा। क्रेता (प्रिंसिपल) नियम-45 के अनुसार ऊपर दिये गये बिन्दु-(i) के अनुसार जॉब वर्कर सीधे चालान जारी करेगा तथा प्रिंसिपल द्वारा FORM GST ITC-04 सूचना प्रदान की जायेगी।

आयात के मामलों में जहाँ प्रिंसिपल द्वारा कस्टम स्टेशन पर माल के आयात के उपरान्त सीधे जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर हेतु सीधे प्रेषित किया जाना हो वहाँ, बिल ऑफ इन्ट्री की कॉपी के साथ माल का परिवहन किया जायेगा और नियम-45 के

अन्तर्गत प्रिंसिपल द्वारा दो प्रतियों में चालान जारी किया जायेगा और उसे जॉब वर्कर को सीधे भेजा जायेगा।

- (v) **जहाँ जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क के उपरान्त आंशिक रूप से पृथक-पृथम मात्रा में माल वापस किया जाना हो-** ऐसे मामलों में जहाँ एक जॉब वर्कर द्वारा दूसरे जॉब वर्कर को या प्रिंसिपल को पृथक-पृथक मात्रा में माल प्रेषित/वापस किया जाना हो तथा प्रिंसिपल द्वारा पूर्व में माल के प्राप्ति के समय प्राप्त चालान पृष्ठांकित किया जाना सम्भव न हो तो जॉब वर्कर द्वारा नया चालान निर्गत करते हुए माल के साथ प्रेषित किया जायेगा।
- (vi) **सूचना प्रदान करना-** यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-45(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्क के लिए भेजे गये माल या जॉब वर्क पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त माल तथा एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को प्रेषित माल के सम्बन्ध में जारी चालान का त्रैमासिक विवरण FORM GST ITC-04 में आगामी माह के 25वें दिन के पूर्व या कमिश्नर द्वारा बढ़ाये गये समय के अन्तर्गत सूचना प्रदान की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं द्वारा माल को जॉब वर्क हेतु एक या अधिक जॉब वर्कर को प्रेषित करने हेतु या एक जॉब वर्कर द्वारा अन्य किसी अन्य जॉब वर्कर को प्रेषित करने एवं जॉब वर्कर से माल प्राप्त करने के संबंध में जारी समस्त चालानों का विवरण उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 के प्रावधानों के अनुसार FORM GST ITC-04 में सूचना प्रदान की जायेगी।

9- इनवाइस जारी करने का उत्तरदायित्व, प्लेस ऑफ सप्लाइ का निर्धारण एवं माल सेवा कर का भुगतान का दायित्व।

9.1- समस्या- यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि प्रिंसिपल अथवा जॉब वर्कर के संबंध में टाइम ऑफ सप्लाइ, वैल्यू आफ सप्लाइ और प्लेस ऑफ सप्लाइ क्या होगी तथा प्रिंसिपल या जॉब वर्कर द्वारा वस्तु की सप्लाइ के सम्बन्ध में प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर के व्यापार स्थल/परिसर पर और जॉब वर्कर द्वारा की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में कौन सी इनवाइस जारी की जायेगी।

9.2- वैधानिक प्रावधान- जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 में यह प्रावधानित है कि प्रिंसिपल द्वारा इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को बिना कर के भुगतान किये जॉब वर्क कराये जाने के उद्देश्य से प्रेषित किये जाने एवं वापस मंगाये जाने अथवा जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर से एक वर्ष एवं तीन वर्ष के अन्दर सप्लाइ करने का प्रावधान किया गया है यदि उक्त अवधि के अन्दर माल वापस नहीं लाया जाता

अथवा सप्लाई नहीं की जाती है तो जिस तिथि को प्रिंसिपल द्वारा माल जाब वरक हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त तिथि से प्रिंसिपल द्वारा भेजे गये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स (माउल्ड एण्ड डाइज़, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स को छोड़कर) की डीमड सप्लाई किया जाना माना जायेगा। जाब वरकर द्वारा जाब वरक के दौरान की गई सर्विस की सप्लाई पर नियमानुसार जी०एस०टी देय होगा।

9.3— टाइम ऑफ सप्लाई के संबंध में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-12 एवं 13 तथा वैल्यू ऑफ सप्लाई के संबंध में धारा-15 में प्रावधान किये गये हैं तथा प्लेस ऑफ सप्लाई के संबंध में आई०जी०एस०टी० एक्ट की धारा-10 में प्रावधान किये गये हैं। इनवाइस जारी करने के संबंध में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-31 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली के नियम-46 के अन्तर्गत प्रावधान किये गये हैं।

9.4— उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एवं इनवाइस जारी किये जाने के संबंध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जा रही है—

(i) जाब वरक सर्विस की सप्लाई— यदि जाब वरकर द्वारा सेवाओं की सप्लाई की जाती है और वह पंजीयन के लिए उत्तरदायी है तो जी.एस.टी. के भुगतान का भी उत्तरदायी होगा, उसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-13 सपठित धारा-31 के अन्तर्गत सेवा के टाइम ऑफ सप्लाई के समय इनवाइस जारी करना होगा। सेवा का मूल्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-15 में उल्लिखित निर्बन्धनों के अधीन निर्धारित होता है और इसमें न केवल सेवा का मूल्य सम्मिलित होता है वरन् जाब वरक की सर्विस में इस्तेमाल की गयी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी सम्मिलित होता है, जो प्रिंसिपल से वसूल किये गये हों। यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि क्या माउल्ड और डाइज़, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स का मूल्य जो कि प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका प्रयोग बाद में जाब वरक सेवायें प्रदान करने में किया गया है, का मूल्य जाब वरक सर्विस में सम्मिलित होगा? उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत जी.एस.टी. में प्रिंसिपल द्वारा किसी सप्लाई का मूल्य निर्धारण की व्यवस्था दी गयी है। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-15 के उपनियम-(2) के खण्ड-(बी) में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी सप्लाई का मूल्य, जिसे सप्लायर द्वारा वहन किया जा रहा है लेकिन उसका प्रयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है, तो उस विशेष सप्लाई का मूल्य, मूल्यांकन का भाग होगा। अतः स्पष्ट होता है कि माउल्ड एण्ड डाइज़, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स, जिसका उपयोग जाब कार्य के दौरान किया गया हो, जाब वरक की सेवाओं के मूल्य में सम्मिलित नहीं होगा।

बशर्ते कि जॉब वर्क द्वारा उक्त सेवाओं की सप्लाई में उपरोक्त वस्तुओं का मूल्य अलग-अलग दिखाना होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि जॉब वर्क पंजीकृत नहीं है तो प्रिंसिपल द्वारा रिवर्स चार्ज बेसिस के आधार पर जी.एस.टी. अदा करना होगा, जिसका प्रावधान उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-9(4) में प्राविधानित किया गया है। यद्यपि यह प्राविधान कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।

- (ii) **प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर से माल की सप्लाई**— उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 में प्राविधान किया गया है कि प्रिंसिपल द्वारा सप्लाई की जा सकती है, जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर से इनपुट्स के जॉब वर्क पूर्ण होने अथवा अन्यथा या कैपिटल गुड्स (माउल्ड एण्ड डाइज, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स को छोड़कर) क्रमशः एक वर्ष एवं तीन वर्ष के अन्दर भारत में कर का भुगतान कर अथवा कर के साथ अथवा बिना कर का भुगतान किये निर्यात किया जा सकता है। यह सुविधा प्रिंसिपल को उसी दशा में उपलब्ध होगी जब प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर का व्यवसाय स्थल/परिसर उसका अतिरिक्त प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित किया गया हो या यदि जॉब वर्कर पंजीकृत हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल द्वारा की गयी सप्लाई की स्थिति में सप्लाई का समय, मूल्य और स्थान का निर्धारण प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर के लोकेशन पर विचार किये बिना होगा, प्रिंसिपल द्वारा ही इनवाइस जारी किया जायेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर से सीधे निर्यात होने की स्थिति में LUT or Bond जैसी भी स्थिति हो प्रिंसिपल द्वारा प्रबंध किया जायेगा।

उदाहरण हेतु यदि प्रिंसिपल राज्य "ए" में स्थित है तथा जॉब वर्क राज्य "बी" में तथा प्राप्तकर्ता राज्य "सी" में अवस्थित है, तो यदि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर के राज्य "बी" स्थित व्यवसाय स्थल/परिसर से सीधे राज्य "सी" स्थित प्राप्तकर्ता को आपूर्ति किया जाना है तो राज्य "ए" में स्थित आपूर्तिकर्ता/प्रिंसिपल द्वारा इनवाइस राज्य "सी" के व्यापारी को जारी किया जायेगा तथा यह सम्यवहार इन्टरस्टेट सप्लाई माना जायेगा यदि प्राप्तकर्ता राज्य "ए" में अवस्थित हो तो उक्त सप्लाई, इन्ट्रास्टेट सप्लाई की श्रेणी में निर्धारित किया जायेगा।

- (iii) **जॉब वर्क के दौरान प्राप्त वेस्ट एण्ड स्क्रेप की सप्लाई**— उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 की उपधारा-(5) में प्राविधान किया गया है कि जॉब वर्क के प्रक्रिया के दौरान प्राप्त वेस्ट एण्ड स्क्रेप की सप्लाई पंजीकृत जॉब वर्कर द्वारा सीधे अपने


व्यवसाय स्थल/परिसर से की जा सकती है या जॉब वर्कर के अपंजीकृत होने की स्थिति में प्रिंसिपल द्वारा सप्लाइ की जायेगी। ये सिद्धांत ऊपर के पैरा (ii) में व्यक्त किया जा चुका है, जिसको प्रस्थिति अनुरूप परिवर्तनों सहित प्रयोग किया जा सकता है।

9.5- धारा-143 में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-143 के प्राविधानों के अनुसार यदि प्रिंसिपल द्वारा इनपुट्स या कैपिटल गुड्स (माउल्ड एण्ड डाइज, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स को छोड़कर) वापस प्राप्त नहीं किया जाता है और न ही जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल/परिसर से विनिर्दिष्ट एक वर्ष व तीन वर्ष की समयावधि के अन्दर सप्लाइ नहीं की जाती है तो उस स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रिंसिपल द्वारा प्रथम जॉब वर्कर को माल को जॉब वर्क के उद्देश्य से प्रेषित किये जाने वाली तिथि से आपूर्ति कर दी गयी है। तदनुसार देयकर एवं ब्याज निर्धारित किया जायेगा।

9.6- इस प्रकार यदि इनपुट्स अथवा कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के व्यापार स्थल/परिसर से विनिर्दिष्ट एक वर्ष व तीन वर्ष की समयावधि के अन्दर वापस नहीं आता अथवा आपूर्ति न होने की स्थिति में प्रिंसिपल उपरोक्त माल के सम्बन्ध में एक इनवाइस जारी करेगा और जिस माह में विनिर्दिष्ट एक वर्ष व तीन वर्ष की समयावधि समाप्त होती है, के रिटर्न में घोषित करेगा। सप्लाइ की तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को प्रथम बार इनपुट्स व कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को प्रेषित किया गया था तथा अन्तर्विष्ट अवधि के लिए ब्याज का भुगतान भी करेगा। यदि जॉब वर्कर विनिर्दिष्ट एक वर्ष व तीन वर्ष की समयावधि के उपरान्त माल वापस किया जाता है तो यह जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को करयोग्य आपूर्ति मानी जायेगी और जॉब वर्कर पर करदायित्व निर्धारित किया जायेगा यदि जॉब वर्कर पंजीकृत होने योग्य हो। यदि जॉब वर्कर पंजीकृत नहीं हो तो उस दशा में प्रिंसिपल द्वारा रिवर्स चार्ज बेसिस पर उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम धारा-9(4) के प्राविधानों के अनुरूप कर के भुगतान का दायी होगा। (वर्तमान में यह प्राविधान अग्रिम आदेशों तक स्थगित है) यह आवश्यक नहीं है कि माउल्ड एण्ड डाइज, जिग्स और फिक्चर्स या टूल्स को जॉब वर्कर द्वारा वापस किया जायेगा।

10- प्रिंसिपल और जॉब वर्कर को इनपुट्स क्रेडिट की उपलब्धता- यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर से सीधा प्राप्त इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के संबंध में प्रिंसिपल के लिये आई0टी0सी0 की उपलब्धता क्या होगी। यह भी जिज्ञासा व्यक्त किया गया है कि क्या जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क सेवाओं की सप्लाइ में उसके द्वारा प्रयुक्त किये गये इनपुट पर आई0टी0सी0 के लिये पात्र होगा। उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा-16 की उपधारा-(2) के खण्ड "बी" में यह प्राविधान किया गया है कि इनपुट्स टैक्स क्रेडिट प्रिंसिपल को उपलब्ध होगी यदि इनपुट्स और कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल द्वारा

प्राप्त किया गया हो और उसे प्रोसेसिंग हेतु जॉब वर्कर को प्रेषित किया गया हो अथवा उक्त इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को सीधे जॉब वर्कर के व्यापार स्थल/परिसर से, प्रिंसिपल के व्यापार स्थल पर लाये बिना प्रेषित किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जॉब वर्कर यदि पंजीकृत है, तो वह जॉब वर्क प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किये गये इनपुट्स के सम्बन्ध में आईटीसी का लाभ ले सकता है।



(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।